(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)

अनवान

श्री सज्जन सोडानी, निवासी बिगोद, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीललवाडा

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या :— 06/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12—02—2025	**—: निर्णय :—** 1. पत्रावली आज पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन—पत्र दिनांक **06—11—2024** में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं **जिला रसद** अधिकारी भीलवाड़ा रेस्पोडेंट के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील **16—12—2024** को प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा ने उनके कार्यालय के पत्रांक 45 दिनांक 10—02—2025 से प्रार्थी/अपीलार्थी को अवगत कराया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वांछित सेवा अभिलेख व्यक्ति जानकारी होने से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इसी प्रकार से ग्राम बिगोद के 4 उचित मूल्य दुकानदारों के निरीक्षण प्रतिवेदन काफी विस्तृत होने से व्यक्तिशः कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर सकते है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को उसके आवेदन का जवाब दिया जा चुका है। 4. अपीलार्थी की ओर से भी किसी प्रकार की कोई आपति एवं एतराज प्रस्तुत किया जाना अभिलेख पर मौजूद नहीं है और अपीलार्थी से किसी प्रकार की आपत्ति एवं एतराज भी प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त सूचना से अपीलार्थी/प्रार्थी संतुष्ट है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12—02—2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (जसमीत सिंह संधू) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	